1

विभाग का नाम :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार ।

प्रेस नोट

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के द्वारा प्राईस सर्पोट स्कीम (PSS) के तहत राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम, 2020–21 में प्राप्त सैद्धांतिक सहमति तथा रबी विपणन मौसम, 2021–22 से संकल्प संख्या 1104, दिनांक 10.03.2022 के द्वारा लिये गये निर्णय के अतिरिक्त संकल्प संख्या 3016, दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से लिये गये निर्णय को समाप्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा दलहन एवं तेलहन अधिप्राप्ति के संदर्भ में लिए गए अद्यतन निर्णय के आलोक में प्राईस सर्पोट स्कीम (PSS) के पुनरीक्षित व्यवस्था के तहत राज्य में रबी विपणन मौसम 2025–26 एवं उसके पश्चात् के अधिप्राप्ति वर्षो में दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से क्रय केन्द्रों का संचालन कराकर एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य स्तरीय सर्पोटर तथा केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) को नामित कर राज्य अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तेलहन की अधिप्राप्ति सम्पन्न करने की स्वीकृति दी गई।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

पंचांग वर्ष 2025 में राज्यान्तर्गत 05 प्रमुख नदियों यथा–सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम–131 ज्ञ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 (CMPDI) से कराने हेतु राशि ₹2,58,61,352/–(रूपये दो करोड़ अंठावन लाख इकसठ हजार तीन सौ बावन मात्र) की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रमुख नदियों में वर्षा ऋतु में बालू के निक्षेप की जानकारी मिल सकेगी, जिसके आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जिला (खान) सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर बालू की निकासी की जा सकेगी।

3

प्रेस नोट

यांत्रिक अभियंताओं की उपयोगिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करने हेतु यांत्रिक उपभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस पुनर्गठन में अतिरिक्त पद का सृजन नहीं किया जा रहा है, जिससे कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ पद/कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय परिवर्तन का प्रस्ताव है। पुनर्गठन के फलस्वरूप अभियंताओं से अपने कार्यों के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पथ संधारण, अनुश्रवण आदि का भी कार्य लिया जायेगा। पथ संधारण कार्य में पथों का Third Party की जाँच की भी व्यवस्था सरलता से हो जाएगी।

(4)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक–805, दिनांक–17.06.2016 के आलोक में।

विभाग का नाम – श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

राज्य में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप औद्योगिक इकाईयों की संख्या लगातार बढ़ रहीं है, जिसमें नए–नए वाष्पित्रों का अधिष्ठापन एवं पंजीकरण भी हो रहा है। तत्समय राज्य में वाष्पित्रों की संख्या 409 थी, जो वर्तमान में बढ़ कर 647 हो गयी है और लगातार इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण तकनीकी कार्यबोझ लगतार बढ़ रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक 150 वाष्पित्रों के निरीक्षण हेतु 01 वाष्पित्र निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान होने तथा लगातार निबंधित वाष्पित्रों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से वाष्पित्र निरीक्षक के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त वाष्पित्र निरीक्षक के 04 नए पदों का सृजन किया जाना विचाराधीन था।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) के वाष्पित्र निरीक्षक संवर्ग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त वाष्पित्र निरीक्षक (वेतन स्तर–09) के 04 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी है।

इससे वाष्पित्र अधिनियमों को लागू करने एवं निबंधित वाष्पित्रों के निरीक्षण में सुगमता होगी।

50/50

(5)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सेवा शर्तों आदि के मामलों में निष्पादन की कठिनाईयों के आलोक में बिहार क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2014 एवं विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत अन्य संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि को निरसित करते हुए नयी बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 गठित किया जाना हैं।

2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के द्वारा इन्टरमेडिएट स्तरीय पदों पर चयन की कार्रवाई के आलोक में लिपिक संवर्ग के न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष करने, नियुक्ति प्राधिकार निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को घोषित करने, लिपिकीय संवर्ग को राज्य स्तरीय संवर्ग करने आदि के लिए बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन करने की आवश्यकता है।

3. बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन किया जाता है।

6

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–66/2023

डा0 राकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगड़िया के विरूद्ध वर्ष 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–527(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–1778(9) दिनांक–22.12.2023 एवं पत्रांक–207(9) दिनांक–02.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। कुमार द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे PG कोर्स हेतु माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज अध्ययनरत होने के कारण कर्त्तव्य पर अनुपस्थित है। सिविल सर्जन, खगड़िया के पत्रांक–2062 दिनांक–20.08.2024 के सूचित किया गया है कि डा0 कुमार द्वारा प्रभार ग्रहण के पश्चात् वर्ष 2021 से अबतक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 कुमार को बिना विभागीय अनुमति के कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में "सेवाच्यूति" की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–214 दिनांक–17.04.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 राकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगड़िया के विरूद्ध वर्ष 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से सेवाच्यूति करने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या–11/नि० 03–02/2025 ....

(7)

प्रेस नोट

विषय राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चत करने हेतु ''बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय लिपिक के नये संवर्गों का गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटि के माध्यम से राज्य के राजकीय प्राथमिक/मध्य/ माध्यमिक /उच्च माध्यमिक/ राजकीयकृत माध्यमिक /उच्च माध्यमिक /प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

संचिका संख्या–11/नि० 03–01/2025.........

<u>प्रेस नोट</u>

राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चत करने हेतु ''बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के नये संवर्गों का गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या–11/नि 03–03/2025..........

प्रेस नोट

राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चत करने हेतु "बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय परिचारी के नये संवर्गों का गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से की जायेगी। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटि के माध्यम से राज्य के राजकीय प्राथमिक/मध्य/ माध्यमिक /उच्च माध्यमिक/ राजकीयकृत माध्यमिक /उच्च माध्यमिक /प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

शिक्षा विभाग अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियों के सम्यक् क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्शी के 03 पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

सारण जिलान्तर्गत अंचल–अमनौर के मौजा–अरना, थाना सं0–269, खाता सं0–02 के विभिन्न खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा–70.05 एकड़ भूमि किस्म–भीठ, खतियान के अनुसार भूमि का किस्म–बकास्त मोकीदार वो ठेकेदार वो जरपेसकीदार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

लखीसराय जिलान्तर्गत अंचल—हलसी, मौजा—सिरखिण्डी, थाना सं0—159, खाता सं0—356, खेसरा सं0—2968 की कुल प्रस्तावित रकबा—7.40 एकड़ गैरमजरूआ मालिक, किस्म— परती कदीम भूमि पर 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, हलसी के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि—1,99,80,000/— (एक करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार) रूपये के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

13

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा–विग्रहपुर, थाना सं0–22, खाता सं0–32, खेसरा सं0–02, किस्म–कैसरे हिन्द, में कुल प्रस्तावित रकबा–0.1555 एकड़ चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (शिक्षा विभाग, बिहार, पटना) के स्वामित्व की भूमि पर मीठापुर मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो0 10,49,62,500/– (दस करोड़ उनचास लाख बासठ हजार पाँच सौ) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(14)

प्रेस नोट

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं इसके नियंत्रणाधीन निदेशालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राज्यस्तर पर संचालित भूमि संबंधी विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का निष्पादन किया जाता है। उक्त सभी कार्यक्रम एवं योजनाओं के संचालन एवं निष्पादन की कार्रवाई विभाग स्तर से गठित एवं प्रचलित विभिन्न अधिनियम, नियमावली, कार्यकारी अनुदेश, पत्र, परिपत्र, इत्यादि के आधार पर किये जाते हैं। तथापि, उक्त कार्यक्रम एवं योजनाओं के निष्पादन के क्रम में राजस्व संबंधी कतिपय जटिल/गुढ़ मामले परिलक्षित होते हैं। ऐसे मामले विभाग के किसी अधिनियम/नियमावली/नीतियों/अनुदेश के प्रावधानों से कदाचित प्रत्यक्ष तौर पर आच्छादित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व मामलों के जानकार एवं विशेषज्ञों की सलाह/सुझाव की आवश्यकता विभाग द्वारा महसूस की जाती है, ताकि राजस्व संबंधी किसी जटिल/गुढ़ मामलों के विधि सम्मत् एवं तर्कपूर्ण निष्पादन में सुविधा हो सके। साथ ही, विभागीय विभिन्न अधिनियमों को समेकित करते हुए अन्य राज्यों की भाँति बिहार राजस्व संहिता (Bihar Revenue Code) का गठन की आवश्यकता है, जिसके लिए भी राजस्व विषय के जानकार विशेषज्ञों की सेवा लिया जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है।

अत: बिहार राजस्व संहिता (Bihar Revenue Code) का गठन कार्य तथा राजस्व संबंधी जटिल एवं गुढ़ मामलों पर परामर्श/सुझाव प्राप्त करने के लिए राजस्व मामलों के जानकार एवं विशेषज्ञों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर एक **"राजस्व परामर्शदात्री समिति"** के गठन की आवश्यकता है।

(15)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

।। प्रेस नोट ।।

राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं के लिए **In-Building Solutions** स्थापित करने हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित–2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी, जिससे इमारतों/परिसरों के अन्दर मोबाइल कवरेज और उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्बाध 5G सेवाऐं उपलब्ध करायी जा सकेगी।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

16

पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन–निजी भागीदारी के माध्यम से पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्त्ता को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) निर्गत करने की स्वीकृति के संबंध में।

राजधानी पटना में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त गुणवत्तापूर्ण आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तीन पाँच सितारा होटलों का निर्माण कार्य जन--निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्त्ता KUMAR INFRATRADE ENTERPRISES PVT LTD, PATNA को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) निर्गत किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस होटल के निर्माण से राज्य में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों को उच्चस्तरीय आधुनिक आवासन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हो सकेगी। पाँच सितारा होटल के आस–पास आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार सृजन की संभावनाएँ भी बढ़ेगी।

(17)

संचिका संख्या–01/स्था०–26(नियo)–05/2024

बिहार सरकार
खेल विभाग

।। प्रेस नोट।।

"राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राज्य खेल अकादमी के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण (आवासीय एवं गैर आवासीय) एवं अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान करना एवं बिहार राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित खेल गतिविधियों/कार्यक्रमों तथा राज्य में विभिन्न खेलों का अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए आधुनिकतम खेल अवसंरचना का निर्माण कर राज्य के युवाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में अधिकाधिक प्रतिभागिता, प्रतिभा का चयन एवं खेल के प्रति जागरूकता इत्यादि लाने का उद्देश्यों से राज्य के अंतर्गत खेल का वातावरण तथा राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किये जाने के प्रयोजनार्थ राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकार, संवर्ग संरचना, शैक्षणिक अहत्त्ती, मूल कोटि में नियुक्ति, आरक्षण, वरीयता एवं प्रोन्नति इत्यादि अन्य सेवा शर्तो का निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

18

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

|| प्रेस नोट ||

विषयः– केन्द्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार आकस्मिकता निधि से ₹2,24,35,00,000/– (दो सौ चौबीस करोड़ पैंतीस लाख रु०) मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति दी गयी।

||

(19)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस नोट

बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि एवं उग्रवादियों व संगठित अपराधियों के विरूद्ध छापेमारी में त्वरित कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण, उग्रवाद निरोध एवं विधि–व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहायता हेतु भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर प्राप्त कर, बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (**Special Auxiliary Police**) में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 1717 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है।

20

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान (UDAN) योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान (UDAN) योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता होने से हवाई अड्डा का निर्माण एवं आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगा। हवाई अड्डा का निर्माण होने से राज्य एवं स्थानीय निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगा।